न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

अपीलान्ट :—
श्रवणलाल पुत्र गंगाबिशन खाती
निवासी मेहगांव तह. परबतसर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—
1. सरपंच ग्राम पंचायत पीपलाद
2. ओमप्रकाश पुत्र गंगाबिशन खाती
3. दशरथ पुत्र गंगाबिशन खाती
4. प्रेमप्रकाश पुत्र गंगाबिशन खाती
   निवासी मेहगांव तह. परबतसर

अपील विरूद्ध :— नामान्तकरण संख्या 869 पर दिनांक 05.01.2013 पारित ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत।

उपस्थित :— श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता अपीलान्ट
सरपंच ग्राम पंचायत पीपलाद

मुकदमां नम्बर :— 2020/00143

निर्णय दिनांक :— 19.01.2022

निर्णय

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ऋषि बोहरा ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मेहगांव की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 700, 701, 738 कुल रकबा 2.42 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसके गत खसरा नम्बर 424, 425, 451 थे। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 2 से 4 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद बहिनो व माता के हकत्याग सहित फौतगी नामान्तकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज किया गया है। अपीलान्ट परिवार में सबसे छोटा होने से बाल्यवस्था में परिवारज़न द्वारा अपीलान्ट को मुन्ना के नाम से पुकारते थे जबकि अपीलान्ट का सही नाम श्रवणलाल था लेकिन घर पर प्यार से मुन्ना बुलाने से फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम मुन्नालाल ही दर्ज कर दिया गया जो आज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अपीलान्ट के समस्त अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व बैंक पास बुक मतदाता पहचान पत्र तमाम रिकार्ड में नाम श्रवणलाल पुत्र गंगाबिशन दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण 869 में पारित आदेश में अपीलान्ट का सही नाम श्रवणलाल पुत्र गंगाबिशन दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट के जरिये नोटिस सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 ने जबाब पेश कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्ट हमारा संगा भाई है जिसको बचपन में हम एवं हमारे बुर्जुग घर पर प्यार से मुन्नालाल नाम से पुकारा करते थे तथा पिता जी के स्वर्गवास के वक्त अपीलान्ट परिवार में सबसे छोटा होने से हमारे द्वारा फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम मुन्नालाल ही दर्ज करवा दिया था जिससे अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम मुन्नालाल दर्ज चला आ रहा है। अपीलान्ट का सही नामा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

श्रवणलाल है जो उसके अन्य सभी दस्तावेजो में है तथा अपीलान्ट का नाम मुन्नालाल के स्थान पर श्रवणलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो हम रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पीपलाल ने भी अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानो व बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार नामान्तकरण संख्या 869 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 424, 425, 451 की भूमि गंगाबिशन पुत्र मूला कोम खाती के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसके स्वर्गवास के बाद फौतगी व हकत्याग का नामान्तकरण दशर, ओम प्रकाश, मुन्नालाल व प्रेमप्रकाश पि. गंगाबिशन के नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत पीपलाद द्वारा दिनांक 05.01.2013 को स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम मेहगांव के खसरा नम्बर 700, 701, 738 कुल रकबा 2.42 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलान्ट का नाम मुन्नालाल दर्ज है, अपीलान्ट ने अपना आधार कार्ड , राशन कार्ड आदि की प्रतियां पेश की है जिसमें अपीलान्ट का नाम श्रवणराम पुत्र गंगाबिशन दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 जो अपीलान्ट के संगे भाई है तथा सह खातेदार है ने जबाब पेश कर सभी ने स्वीकार किया है कि अपीलान्ट का सही नाम श्रवणलाल ही है बचपन से प्यार से मुन्ना पुकारने से फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से मुन्नालाल नाम अंकित किया गया है जो दुरूस्त किया जाता है तो हम अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं हैं, बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है, रिकार्ड व रेस्पोडेन्ट स्वंय की स्वीकारोती के आधार पर सिद्ध होता है कि मेहगांव में मुन्नालाल व श्रवणलाल पुत्र गंगाबिशन दोनों एक ही व्यक्ति अपीलान्ट का नाम है जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेहगांव के नामान्तकरण संख्या 869 दिनांक 05.01.2013 की दोनों फर्द तलब कर अपीलान्ट का नाम मुन्नालाल के स्थान पर श्रवणलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/01/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)